राज्य के खदान क्षेत्रों के लिए लागू की स्टार रेटिंग योजना

देहरादून। राज्य के खदान क्षेत्रों के लिए स्टार रेटिंग योजना लागू की गई है। इसके माध्यम से पर्यावरण, वन सुरक्षा उपायों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पट्टाधारकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

यह योजना लघु, गौण खनिज खदानों (आरबीएम को छोड़कर) पर लागू होगी। इसमें पट्टेधारकों को स्वमूल्यांकन प्रपत्र भर कर आवेदन करना होगा। इस प्रपत्र को भरने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने दिशा-निर्देश भी तैयार कर लिए हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि इनको स्टार रेटिंग देने के लिए मानक तय किए गए हैं।

इसमें पर्यावरण व जल संरक्षण, श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण, वैधानिक अनुपालन, व्यवस्थित एवं संधारणीय खनन शामिल हैं। स्टार रेटिंग से खदानों की स्थिति के बारे में पता रहेगा। जहां पर कमी होगी, उनको सुधार के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। पट्टाधारक तय मानकों पर सूचना भेजेंगे, उनका थर्ड पार्टी से भी परीक्षण कराया जाएगा। यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। जो पांच रेटेड खदानों की सूची तैयार की जाएगी, उसे हर साल 30 नवंबर से पहले भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ब्यूरो

प्रदेश में 200 खदान

प्रदेश में 200 खदान हैं। इसमें खड़िया, मैग्नेसाइट आदि की हैं। इन खदानों के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को काफी राजस्व प्राप्त होता है।